राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांकः एफ. 9 ( ) निवेश/होमस्टे/प.वि./2026/ दिनांकः

परिपत्र

पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 20.02.2026 को जारी होमस्टे (पेईंग गेस्ट) योजना, 2026 के क्रम में दिशा निर्देश (SOP) निम्नानुसार जारी किये जाते हैः–

- होमस्टे (पेईंग गेस्ट) योजना, 2026 में उल्लेखित मापदण्डों को अर्हता पूर्ण करने वाले फर्निश्ड आवासीय भवन योजना में आवेदन हेतु पात्र हैं।
- योजना अन्तर्गत न्यूनतम एक व अधिकतम आठ कमरे (24 बैड) हेतु पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
- होमस्टे (पेईंग गेस्ट) योजना, 2026 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप (Form A) में आवेदन पत्र संबंधित जिला पर्यटन कार्यालय (पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र) में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा–
    - आवेदक का पहचान पत्र
    - भू–स्वामित्व दस्तावेज/होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाइस) संचालन हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की रजिस्टर्ड लीजडीड
    - गत तीन माह के विद्युत एवं पानी के बिल
    - परिसर के नवीनतम छायाचित्र
    - 100 रू के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
    - केयरटेकर (यदि केयरटेकर द्वारा संचालन किया जा रहा है) का निर्धारित प्रपत्र में विवरण
    - निर्धारित शुल्क

- होमस्टे (पेंइग गेस्ट) योजना में समस्त जिला पर्यटन कार्यालयों के प्रभारी पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी है।
- पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों में अस्थायी पंजीकरण जारी किया जायेगा जिसकी वैधता अवधि 6 माह होगी।
- अस्थायी पंजीकरण उपरॉंत आवेदक द्वारा होमस्टे का संचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्थायी पंजीकरण की तिथि से आगामी 3 माह के अन्दर निरीक्षण किया जावेगा।
- निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अनुपालन और सुधार के लिए 7 कार्य दिवसों के अन्दर सूचित किया जावेगा। आवेदक द्वारा दो माह की अवधि में समस्त कमियां पूर्ण करनी होगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसकी वैधता अवधि 2 वर्ष होगी।

RajKaj Ref No.: 21546322
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.04.13 12:48:49 IST
Reason: Approved

- आवेदक को परिसर में पंजीकरण प्रमाण पत्र और पर्यटक से लिए जाने वाले शुल्क का प्रदर्शन करना होगा।
- होमस्टे संचालक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्व माह की पर्यटक सांख्यिकी संबंधित पर्यटन कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
- वैधता अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व से एक माह पूर्व तक नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
- नवीनीकरण प्रमाण पत्र 7 कार्य दिवसों में Auto renewal किया जाएगा।
- होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस), 2026 के पूर्ण विवरण हेतु पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.tourism.rajasthan.gov.in पर योजना का अवलोकन करें।

(सुरेश कुमार बुनकर)
शासन उप सचिव, पर्यटन

क्रमांकः एफ. 9 ( ) निवेश/होमस्टे/प.वि./2026/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, पर्यटन विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/विकास/निवेश पर्यटन विभाग।
4. प्रभारी जिला पर्यटन कार्यालय, पर्यटन विभाग।
5. नोडल अधिकारी BRAP, उद्योग विभाग।

RajKaj Ref No.:
21546322
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.04.13 12:48:49 IST
Reason: Approved